"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 मार्च 2017— फाल्गुन 27, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/2017/1 (एक). — माननीय न्यायाधिपति श्री तोट्टलिल भास्करन नायर राधाकृष्णन, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय जिनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के पद पर भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना क्रमांक के. 13016/01/2017-यू.एस. II, दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 18 मार्च, 2017 को अपरान्ह 12:30 बजे ग्रहण किया.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2017

क्रमांक एफ 5-5/2017/1 (एक). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 मार्च, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Naya Raipur, the 18th March 2017

NOTIFICATION

No. F 5-5/2017/1 (One).— Hon'ble Justice Shri THOTTATHIL BHASKARAN NAIR RADHAKRISHNAN Judge of the Kerala High Court, who has been appointed as Cheif Justice of Chhattisgarh High Court by the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Justice) Notification No. K. 13016/01/2017-U.S. II, Dated 10th March, 2017 has assumed charge of the office on the 18th March, 2017 at 12:30 p.m.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.